

FORM NO.III

2022/459

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

अबदुलरकीब शेख बनाम रितेश कुमार

केस मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 308/2022

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/06/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती अबदुलरकीब शेख सौ. मोहम्मद रशीद जी
मुसलमान रा.0 कजोड पुरा रा.0 लावा
श्री जयन्त सौ. शैलेश कान्त हिगंडे
निवासी जैगली सावा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम सावा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 3000/1240

कुल कीता 1 कुल रकबा 0.9000 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सावा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 3000/1240

कुल कीता 1 रकबा 0.9000 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000=१०० रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(राजेश कुमार शर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)